न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०...... 742/2023

सरकार बनाम जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र

अंतर्गत धारा–302/34 भा०द०सं० एवं 4/25 आयुध अधि०

थाना–टीला मोड़ गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–529/2023

<u>आरोप</u>

मैं, अनिल कुमार–X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दि0 08–09–2023 को समय 12.30 बजे दिन स्थान महिपाल की दुकान के पास ग्राम निस्तौली अंतर्गत सीमा थाना टीला मोड़ जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्त एवं वादी के पुत्र अजय कुमार के मध्य कबूतरबाजी को लेकर हुई बहसबाजी के कारण आप अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र अजय कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कारित कर दी गयी। इस प्रकार आप आपके द्वारा धारा 302 भा०द० सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि दिनांक 08.09.2023 को किसी समय स्थान ग्राम निस्तौली से लगभग 50 मीटर पहले पीपल के पेड़ के पास सड़क पर बनी पुलिया के नीचे से आप अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद चाकू बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि आयुध अधिनियम की धारा–4/25 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश

दिनांकः26.02.2024 गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश

दिनांकः26.02.2024 गाजियाबाद।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.02.27 17:46:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court